



भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान
जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर – 208 002
(उत्तर प्रदेश)

An ISO 9001:2015 Certified

(O) : (0512) 2533560, 2554746
Fax : (0512) 2533560, 2554746
Website : <http://atarik.res.in>
E-mail : zpdicarkanpur@gmail.com

दि. 18-01-2021

वेबिनार फार्म एक्ट 2020 : निहितार्थ एवं कृषक हित

दि. 18 जनवरी 2021 को भाकृअनुप-अटारी, जोन-तृतीय कानपुर द्वारा नये कृषि कानूनों की जानकारी देने और जागरुकता फैलाने हेतु 'वेबिनार फार्म एक्ट 2020 : निहितार्थ एवं कृषक हित' का आयोजन किया गया जिसमें अतिथि वक्ता डा. ए.के. सिंह-उपमहानिदेशक (कृ.प्र.) भाकृअनुप, थे, मुख्य आयोजक भाकृअनुप-अटारी कानपुर निदेशक डा. अतर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 30 कृषि विज्ञान केन्द्रों के 600 किसान एवं 100 वैज्ञानिकों ने वेबिनार में भाग लिया।

डा. ए.के. सिंह, उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) ने कहा कि नये कृषि कानूनों के अन्तर्गत व्यापारी अपनी बात से मुकर नहीं पायेगा। किसानों को आश्वासित मूल्य मिलेगा। निजी कम्पनियों का कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा जिससे तेजी से विकास होने और कृषकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने में लाभ मिलेगा। एफ.पी.ओ. के अन्तर्गत 500-1000 किसान पैदावार करेंगे तथा कान्ट्रैक्ट के रूप में खरीददारी उनके यहां से कम्पनी द्वारा होगी। कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत किसान मना कर सकता है परन्तु व्यापारी नहीं। ए.पी.एम.सी. मंडियां बहुत अच्छी नहीं हैं। नये कानूनों के माध्यम से मंडियों द्वारा लिये जा रहे 8 प्रतिशत टैक्स से छूट मिलेगी।

डा. अतर सिंह, निदेशक भाकृअनुप-अटारी कानपुर ने कहा कि इन कानूनों में 2 नये कानून हैं जबकि 1 में संशोधित कानून है। आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कृषि में सुधार की काफी आवश्यकता थी। इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश के द्वार खुलेंगे। निजी निवेश आने से गुणवत्तायुक्त बीज, खाद एवं कीटनाशक मिलेंगे। इन कानूनों के अन्तर्गत किसानों और कम्पनियों के बीच समझौता होगा और खेतों का मूल्य निर्धारित होगा। वितरण एवं भुगतान अन्तर्गत सप्लाई के बाद भुगतान दिया जायेगी और रसीद भी जारी की जायेगी। फसल का बीमा भी कर सकते हैं। कृषक ऋण भी ले सकते हैं। किसानों को शोषण से निजात मिलेगी।

डा. साधना पाण्डेय-प्रधान वैज्ञानिक (गृ.वि.प्र.) ने 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020' की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिनियम किसानों को अनुबंध खेती में संलग्न करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जहां किसान खरीददारों के साथ सीधे अनुबंध कर सकते हैं (बुवाई के मौसम से पहले) ताकि उन्हें पूर्व-निर्धारित कीमतों पर उपज बेच सकें। इन कानूनों का उद्देश्य किसान समुदाय को व्यापारियों, बिचौलियों और शिकारी साहूकारों के झांसे से बाहर निकालने में सक्षम बनाना है। इसमें किसानों और प्रायोजकों द्वारा बुवाई से पहले सुनिश्चित कीमत

तय होगी। बाजार जोखिम किसान से प्रायोजक को स्थानांतरित होगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशकों तक पहुंच मिलेगी, नई तकनीक तक पहुंच प्रदान होगी, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

डा. शान्तनु कुमार दुबे-प्रधान वैज्ञानिक (कृ.प्र.) ने 'किसानों का उत्पादन और व्यापार (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020' पर जानकारी दी और उन्होंने एमएसपी पर जानकारी देते हुए कहा कि एमएसपी एक न्यूनतम मूल्य गारंटी है जो किसानों के लिए सुरक्षा या बीमा के रूप में कार्य करता है जब वे फसल विशेष बेचते हैं। एमएसपी की अवधारणा, देश में किसानों की रक्षा उन स्थितियों में करती है जहां फसल की कीमतों में भारी गिरावट आती है। कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (APMC) यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिये प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। यह किसानों के लिये नय विकल्प उपलब्ध करायेगा। उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे।

डा. राघवेन्द्र सिंह-प्रधान वैज्ञानिक (उ.वि.) ने 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020' की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाये गये नये कृषि कानूनों से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। इसमें सभी को छूट मिली है। इन कानूनों से किसान मजबूत होंगे। कान्ट्रेक्ट फार्मिंग किसान की अपनी इच्छा पर आधारित है यदि करनी है तो करें नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के तहत किसानों को फार्म गेट पर ही स्टोरेज सुविधा मिलेगी। ग्राम स्तर पर किसानों को लाभ मिलेगा। पहले बहुत अधिक स्टोरेज सुविधा उपलब्ध न होने के कारण काफी अनाज एवं फसलें नष्ट भी हो जाती थीं, अब ऐसा नहीं होगा। पुराने कानून की वजह से प्राइवेट कम्पनियाँ भण्डारण सुविधा के क्षेत्र में आगे नहीं आती थीं। परन्तु नये कानून से निजी कम्पनियाँ भण्डारण को मजबूत बनायेंगी। किसान भी अपने उत्पाद लम्बे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और जहाँ मांग ज्यादा है वहाँ सप्लाय कर सकते हैं।

वेबिनार के अन्त में विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागी कृषकों और वैज्ञानिकों के प्रश्नों के उत्तर दिये गये। अन्त में डा. धूम सिंह, निदेशक प्रसार च.शे.आ.कृ. एवं प्रौ.विवि. कानपुर द्वारा सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।



**ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY
APPLICATION RESEARCH INSTITUTE**
G.T. Road, Rawatpur, (Near Vikas Bhawan)
Kanpur – 208 002

☎(O) : (0512) 2533560
Fax : (0512) 2533560
Web site : <http://atarik.res.in>
E-mail : zpdicarkanpur@gmail.com

(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION)

Dated: 18.01.2021

Webinar on Farm Act 2020 : Implication for Farmers' Interest

On 18 January 2021, 'Webinar on Farm Act 2020: Implications for Farmers' Interest' was organized by ICAR-ATARI, Zone-III Kanpur to spread awareness and give information about New Farm Acts. In this webinar Dr. A.K. Singh-Deputy Director General (Agril. Ext.) was the guest speaker. Chief Organizer Dr. Atar Singh, Director, ICAR-ATARI, Kanpur shared that 600 farmers and 100 scientists from 30 Krishi Vigyan Kendras of Uttar Pradesh participated in the webinar.

Dr. A.K. Singh, DDG (AE), said that under the new agricultural laws, the traders will not be able to cheat farmers, and they will get assured price. Investment by private companies in the agriculture sector will increase, which will benefit in rapid development and improving economic condition of farmers. Under the F.P.O.s, 500-1000 farmers will produce and as a single source of contract, the purchase will be done by the company from them. Under the contract farming, farmer can refuse to sell, but not the merchant. APMC mandis are still not very good performing, especially in UP. Through the new laws, farmers will be exempted by 8% tax by the mandis.

Dr. Atar Singh, Director ICAR-ATARI Kanpur said that in these laws, two laws are new while one is amended law. Despite economic liberalization, there was a great need for improvement in agriculture. Through these laws, the doors of private investment in agriculture will be opened. Private investment will bring quality seeds, fertilizers and pesticides. Under these laws, there will be agreement between farmers and companies, and the value of produce will be determined. Under delivery and payment, payment will be given after supply and receipt will also be issued. Crops can be insured. Farmers can also avail loans. Farmers will get rid of exploitation.

Dr. Sadhna Pandey, Principal Scientist (H.Sc.E.) gave information about Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020'. She said that the Act provides a framework for farmers to engage in contract farming, where farmers can contract directly with buyers (prior to the sowing season) to sell them produce at pre-

determined prices. The purpose of this particular law is to enable the farming community to get out of the clutches of traders, middlemen and hunter-gatherers. Farmers and sponsors will decide the price before sowing. Market risk will transfer from farmer to sponsor. Farmers will get access to high quality seeds, fertilizers, pesticides, access to new technology, thereby improving the quality of production.

Dr. Shantanu Kumar Dubey, Principal Scientist (A.E.) gave information on 'The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020' and giving information on MSP, he said that MSP is a minimum price guarantee that acts as protection or insurance for farmers when they sell specific crop. The concept of MSP protects farmers in situations where crop prices fall drastically. The purpose of the law is to allow farmers to sell their produce outside the notified Agriculture Produce Marketing Committee ie mandis. Its goal is to provide remunerative prices to farmers for their produce through competitive alternative trade channels. Under this law, no cess or fees will be charged from farmers on the sale of their produce. This will provide new options for the farmers. They will reduce the cost of selling their produce, helping them get better prices. With this, farmers of those areas where there has been more production will be able to get better prices by selling their agricultural produce in other deficient regions.

Dr. Raghavendra Singh, Principal Scientist (Horti.) gave information about Essential Commodities (Amendment) Act, 2020'. He said that farmers will get a lot of benefits from the new agricultural laws brought by the government. Farmers will be strengthened by these laws. Contract farming is based on the farmer's own will, if he wants to do it or else it is not necessary. Under the Essential Commodities Amendment Act, farmers will get storage facility at the farm gate itself. Farmers will get benefits at village level. Earlier, due to lack of much storage facilities, many grains and crops were also destroyed, now this will not happen. Due to the old law, private companies did not come forward in the field of storage facilities. But under new law private companies will make Storage Facilities better. Farmers will be able to keep their produce safe for long time and supply it where demand is high.

At the end of the webinar, the questions of the participating farmers and scientists were answered by the experts. Dr. Dhoom Singh, Director Extension, CSAUA&T Kanpur voted thanks to all the participants.

